

राजस्थान सरकार

सफाई कार्य(स्केवेजिंग), चर्मशोधन, चमड़ा उतारने जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र

(सत्र 20..... - 20.....)

(कक्षा एक से 10 तक के छात्रों के लिये)

नोट:- अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

1. छात्र/छात्रा का नाम आयु
2. जाति
3. पिता का नाम व व्यवसाय
4. परिवार की वार्षिक आय
5. प्रार्थी का वास्तविक निवास का पूरा पता
6. स्कूल का विवरण जिसमें छात्र/छात्रा वर्तमान में पढ़ रहा है/रही है नाम स्थान जिला
7. वर्तमान कक्षा कक्षा में प्रवेश की तिथि

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

राजपत्रित अधिकारी/ स्कूल के प्रधानाध्यपक/संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य, अध्यक्ष/कमिश्नर /कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका /जिला प्रमुख पंचायत समिति/सरपंच का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित करता हू कि छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री श्री जातिके हैं जिनके अभिभावक अस्वच्छ व्यवसाय, शुष्क शौचालयों की सफाई/चर्मशोधन/चमड़ा उतारने के काम में सक्रियरूप से लगे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके परिवार की सभी स्त्रियों से कुल मासिक आय रुपये है।

हस्ताक्षर

पद मोहर

स्कूल के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

1. मैं आश्वस्त होकर प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है। स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है। छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का/की पात्र है।
2. छात्र/छात्रा किसी समाज कल्याण विभाग से या अन्य विभाग से अनुदान प्राप्त/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास की निःशुल्क सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा/रही है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

(मोहर सहित)

कार्यालय उपयोग हेतु

रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर से शैक्षणिक वर्ष हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्र/छात्रा का विवरण स्थाई रजिस्टर के क्रम संख्या पर अंकित है।

हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता अधिकारी

पद